राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी

मैनुअल – 07 जनता की सहभागिता या नीति निर्माण के लिये परामर्श की व्यवस्था

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के राज्य स्तरीय नीति निर्माण के लिए :–

1– भारत सरकार राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा परिषद द्वारा नियत प्रशिक्षण नियमावली के अनुसार **राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड** गठित की गयी है। राज्य प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय हल्द्वानी है । इसका कार्य राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण नीति के कियान्वयन के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करना है ।

राज्य व्यवसायिक परीक्षा परिषद को निम्नांकित कार्य आवंटित किये गये है :–

1– इंजीनियरिंग एवं गैर इंजीनियरिंग व्यवसायों, जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा उसके क्षेत्र में लाये गये हों, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र प्रदान के सम्बन्ध में राष्ट्रीय परिषद की नीति कार्यान्वित करना ।

2. पाठ्यक्रम , उपकरण, आवास की श्रेणी, पाठ्क्रमों की अवधि तथा प्रशिक्षण विधि के संबंध में राष्ट्रीय परिषद के निर्णय तथा उसके द्वारा निर्धारित नीति का कार्यान्वयन करना ।

3. व्यावसायिक व्यवसायों में राज्य परीक्षा बोर्ड की स्थापना करना ।

4. राज्य में प्रशिक्षण संस्थानों / केन्द्रों के तदर्थ अथवा आध्यावधिक निरीक्षण की व्यवस्था करना तथा यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जा रहा है, या नही ।

5. यदि आवश्यक हो, तो उसके कार्य के सम्बन्ध में राज्य परिषद को सलाह देने के लिए किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को सहयोजित करना ।

6. यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्धारित अर्हताओं के अनुसार नियुक्त किये गये हैं और विशेष परिस्थितियों में ऐसे व्यवसाय के लिए छूट दी गयी है जहां उस प्रकार के कर्मचारी आसानी से उपलब्ध नही है ।

7. यह सुनिश्चित करना कि राज्य परीक्षा बोर्ड द्वारा जो परीक्षायें ली जा रही हैं, वे राष्ट्रीय परिषद के मानकों तथा तरीकों के अनुसार है ।

8. सफल अभ्यर्थियों को दिये जाने वाले राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करना तथा उन्हें जारी करना ।

9. जहां आवश्यक हो, अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की सिफारिश करना और आवश्यकता पडनें पर अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थापना में इस प्रकार की सहायता देना ।

10. विभिन्न प्रशिक्षण स्कीमों पर व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देनां ।

11. अन्य सभी ऐसे कार्यों का निष्पादन जो राज्य सरकार द्वारा परिषद को सौंपे जायें ।

इसके अतिरिक्त मण्डल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्योगों की मांग के अनुरूप बनाने हेतु समय–समय पर स्थानीय उद्योगों, संस्थानों और जनसाधारण के सुझाव/परामर्शों को आमंत्रित किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner